

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 194/2020

दायर दिनांक: 02.12.2020

**उनवान**

1. प्रभूलाल आयु 76 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति काछी निवासी कूणडी तहसील अटरू जिला बारां राज०।

**वादी**

**बनाम**

1. हेमराज पुत्र रामचन्द्र जाति काछी निवासी कूणडी तह० अटरू।
2. गजानन्द पुत्र धूलीलाल जाति काछी निवासी कूणडी तहसील अटरू।
3. शिवराज आयु 45 वर्ष पुत्र रामरतन जाति काछी निवासी कूणडी तहसील अटरू।
4. भगवतीबाई आयु 67 वर्ष पत्नी रामरतन जाति काछी निवासी कूणडी तहसील अटरू।
5. देवकी पुत्री रामरतन जाति काछी निवासी कूणडी तहसील अटरू जिला बारां।
6. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट**

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन प्रति० क्रम 1

**निर्णय**

दिनांक 11/07/2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कूणडी तहसील अटरू जिला बारां राज० के खाता सं० 297 की ख०नं० 1120 की 0.15 है०, ख०नं० 1122 की 0.21 है०, ख०नं० 1161 की 0.29 है० कुल किता 3 की रकबा 0.65 है० आराजी का निर्णय दिनांक 20.09.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/999 दिनांक 10.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम कूणडी तहसील अटरू के ख0नं0 1120 की 0.15 है0, ख0नं0 1122 की 0.21 है0, ख0नं0 1161 की 0.29 है0 कुल किता 3 की रकबा 0.65 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 के पिता/पति के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1- वादी प्रभूलाल पुत्र धूलीलाल जाति काछी का हिस्सा निम्नानुसार है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
1.	वादी प्रभूलाल पुत्र धूलीलाल काछी का हिस्सा	1120 / 1	0.0400 है0	1.48
		1122 / 1	0.0560 है0	2.07
		1161 / 1	0.0773 है0	2.86
		कुल किता 3	0.1733 है0	6.41

2- प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 के पिता/पति का हिस्सा निम्नानुसार है-

➤ गजानन्द पुत्र धूलीलाल, रामरतन पुत्र धूलीलाल, हेमराज पुत्र रामचन्द्र के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
2.	गजानन्द पुत्र धूलीलाल, रामरतन पुत्र धूलीलाल, हेमराज पुत्र रामचन्द्र के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी:-	1120 / 2	0.1100 है0	4.07
		1122 / 2	0.1540 है0	5.70
		1161 / 2	0.2127 है0	7.87
		कुल किता 3	0.4767 है0	17.64

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 194/2020

उनवान

1. प्रभूलाल आयु 76 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति काछी निवासी कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. हेमराज पुत्र रामचन्द्र जाति काछी निवासी कूण्डी तह0 अटरू।  
2. गजानन्द पुत्र धूलीलाल जाति काछी निवासी कूण्डी तहसील अटरू।  
3. शिवराज आयु 45 वर्ष पुत्र रामरतन जाति काछी निवासी कूण्डी तहसील अटरू।  
4. भगवतीबाई आयु 67 वर्ष पत्नी रामरतन जाति काछी निवासी कूण्डी तहसील अटरू।  
5. देवकी पुत्री रामरतन जाति काछी निवासी कूण्डी तहसील अटरू जिला बारां।  
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन प्रति0 क्रम 1

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कूण्डी तहसील अटरू के ख0नं0 1120 की 0.15 है0, ख0नं0 1122 की 0.21 है0, ख0नं0 1161 की 0.29 है0 कुल किता 3 की रकबा 0.65 है0 भूमि में तहसीलदार अटरू द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 के पिता/पति के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1- वादी प्रभूलाल पुत्र धूलीलाल जाति काछी का हिस्सा निम्नानुसार है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
1.	वादी प्रभूलाल पुत्र धूलीलाल जाति काछी का हिस्सा	1120/1 1122/1 1161/1	0.0400 है0 0.0560 है0 0.0773 है0	1.48 2.07 2.86
		कुल किता 3	0.1733 है0	6.41

2- प्रतिवादी क्रम 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 के पिता/पति का हिस्सा निम्नानुसार है-

➤ गजानन्द पुत्र धूलीलाल, रामरतन पुत्र धूलीलाल, हेमराज पुत्र रामचन्द्र के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
2.	गजानन्द पुत्र धूलीलाल, रामरतन पुत्र धूलीलाल, हेमराज पुत्र रामचन्द्र के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी:-	1120 / 2 1122 / 2 1161 / 2	0.1100 है0 0.1540 है0 0.2127 है0	4.07 5.70 7.87
		कुल किता 3	0.4767 है0	17.64

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.07.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)